

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राधेश्याम बनाम घीसालाल मु0नं0 5/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.09.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु प्रार्थी एवं वकील प्रार्थी अनुपस्थित रहे। अन्तिम आवाज सांय 5.00 बजे लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र बाजदायरी अदम हाजरी अदम पेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">15/9/2021. (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	

Reader
2017/00095
न्यायालय



11/2/17

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर, राज.

पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र संख्या _____/2016 5/2017

अपील नं 378/2016

1. राधेश्याम पुत्र दुर्गादत्त आयु 65 वर्ष, जाति ब्राह्मण निवासी तन ग्राम सोला तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

अपीलांत

बनाम

1. घीसालाल उर्फ घनश्यामदास शर्मा आयु 71 वर्ष पुत्र रामसहाय पौत्र श्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी सोला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज. हाल निवासी शिवपुरा कॉलोनी जोधारी मोड चास तहसील चास जिला बोकारो राज्य झारखण्ड।

अप्रार्थी रेस्पोंडेन्ट

- 2. ग्राम सेवक ग्राम पंचायत खट्टुन्दरा
- 3. सरपंच ग्राम पंचायत खट्टुन्दरा पंचायत समिति खण्डेला
- 4. पटवारी हल्का खट्टुन्दरा
- 5. उपपंजियक खण्डेला
- 6. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला

अप्रार्थी प्रोफॉर्मा रेस्पोंडेन्ट

पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित आदेश 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 वास्ते आदेश दिनांकित 20.09.2016 द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय जिसके ज़रिए अपील संख्या ~~378~~ 57/2016

उनवानी राधेश्याम बनाम घीसालाल व अन्य को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं:-

- 1. यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय एसडीएम महोदय द्वारा बिना पक्षकारों की साक्ष्य लिये आदेश दिनांकित 30.10.2015 के द्वारा ग्राम

21/2/2017

श्रीमान जी,
प्रार्थना पत्र में माई
आइए हैं
आदेशार्थ